

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 1-103/2008/20-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/10/2008

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

विषय:—अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए गए सविदा शाला शिक्षक के वेतन वृद्धि के संबंध में जारी फर्जी पत्र ।

—00—

उपरोक्त विषय में ज्ञात हुआ है कि इस विभाग के नाम से पत्र क्र० एफ 1-98/2008/20-1, दिनांक 5.9.08 को जारी पत्र में अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये गये सविदा शाला शिक्षकों को वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उल्लेखित पत्र पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक है। म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में उपरोक्त पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः यदि इस प्रकार का कोई पत्र किसी माध्यम से आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ हो तो उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जाये।

(आर.आर.एस मरावो)

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 1-103/2008/20-1  
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 24/10/2008

1. निज सहायक, मा.मन्त्रीजी/राज्यमन्त्री जी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल
5. समस्त समाग्रीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश मुले: